

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: नर्सिंग/म.स्वा.का./नाम विलोपित/ x-05-05899/2024/225 दिनांक:- 16/5/24

आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा के पत्रांक 493 दिनांक 2.04.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके अधीन पदस्थापित श्रीमती प्रेम बाई मीणा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 14.01.2024 को निधन हो गया है। फलस्वरूप स्वर्गीय श्रीमती प्रेम बाई मीणा का नाम एतद् द्वारा दिनांक 14.01.2024 से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 16/5/24

क्रमांक: नर्सिंग/म.स्वा.का./नाम विलोपित/ x-05-05899/2024/225

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा के पत्रांक 493 दिनांक 2.04.2024 के क्रम में।
4. सम्बन्धित कार्मिकाओं के आश्रित को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6600797



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation: Director
Date: 2024.05.15 10:35:25 IST
Reason: Approved